

>kj [k M vf/kfo/k i fj "kn]j kph

vYi dkyhu fufonk vleæ. k l puk

foKflr l d; k & -----@2014

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- सचिव, झारखण्ड अधिविध परिषद, राँची
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक 21.02.2014 को कार्यालय अवधि में।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की अंतिम तिथि :- दिनांक 11.03.2014 को 1:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 11.03.2014 को 3.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 11.03.2014 को 3.30 बजे अपराह्न।
6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- झारखण्ड अधिविध परिषद, राँची कार्यालय में।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- झारखण्ड अधिविध परिषद, राँची कार्यालय के निविदा बॉक्स में।
8. कार्य की विवरणी :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि।
1	2	3	4	5	6
1	दुमका स्थित झारखण्ड अधिविध परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2013-14	20,21,980.00	5000.00	40,500.00	तीन माह

नोट:- निविदा की शर्तें www.jac.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव,
झारखण्ड अधिविध परिषद,
राँची।

fufonk dh 'kr&

1. परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य मान्य होगा।
2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा जो झारखण्ड अधिविध परिषद कोष राँची के नाम से निर्गत होगा एवं इलाहाबाद बैंक के परिषद कार्यालय शाखा राँची में भुगतये होगा। बैंक ड्राफ्ट की बैधता निविदा की तिथि से कम से कम दो माह की होगी।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड राज्य में भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी का निबंधन पत्र, पैन, बिक्रीकर चुकता प्रमाण-पत्र, श्रम अनुज्ञप्ति पत्र एवं उपायुक्त द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र की अद्यतन मूल प्रति दिखाना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
4. अग्रधन के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट देय होगा जो झारखण्ड अधिविध परिषद कोष राँची के नाम से देय, देना अनिवार्य है।
5. निविदा जमा करते समय कंडिका 3 में उल्लिखित सभी प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविध परिषद को निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. निधि उपलब्ध रहने पर ही कार्य का एकरारनामा किया जायेगा।
8. वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनके विरुद्ध विभाग के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी का मामला चल रहा है अथवा काली सूची में नाम दर्ज है। इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत एक शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य आवंटित होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना अनिवार्य होगा।
10. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
11. निविदा की अन्य शर्तें निविदा पत्र के साथ संलग्न होगी जो निविदादाताओं को मान्य होगा।
12. निविदा देने के पूर्व निविदाकार कार्यस्थल का निरीक्षण सुनिश्चित कर लें।
13. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
14. परिमाण विपत्र निबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही दिया जायेगा।
15. जिस कार्य का परिमाण विपत्र अनुमोदित नहीं रहेगा उस कार्य का निविदा स्थगित कर दिया जायेगा।
16. वर्णित क्रमांक 8 में जिन कार्यों में छत की मरम्मत करनी है उसमें सर्व प्रथम छत का कार्य करना होगा।
अग्रधन एवं जमानत की राशि एक वरसात के बाद विमुक्त की जायेगी।
17. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई वर्तमान मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
18. मूल कार्य में वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि के उपरान्त 3(तीन) वर्ष तक डिफेक्ट लायेबिलिटी पीरियड होगा।
19. परिमाण विपत्र में अंकित दर से अधिकतम 10%(दस प्रतिशत) से कम दर की निविदा मान्य नहीं होगी।
20. प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य आवंटित किया जायेगा।

सचिव,
झारखण्ड अधिविध परिषद,
राँची।